

कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जनपद देहरादून

जनपद के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल0टी० एवं प्रवक्ताओं के पदों पर अल्पकालीन शिक्षण हेतु नितान्त अस्थायी रूप से विजिटिंग शिक्षकों का पूल गठित किये जाने हेतु विज्ञाप्ति।

विज्ञापन संख्या—4605—15

दिनांक 15-06-2015

शासनादेश संख्या—151/XXIV—नवसृजित/2015—07(2)/14 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग—नवसृजित दिनांक 13 अप्रैल, 2015 यथा संशोधित शासनादेश संख्या—307/ XXIV—नवसृजित/2015—07 (02)/14 दिनांक 08 मई, 2015 एवं शासनादेश संख्या—389/ XXIV—नवसृजित/2015—07 (02)/14 दिनांक 27 मई, 2015 के क्रम में जनपद देहरादून के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न विषयों में सहायक अध्यापक एल0टी० एवं प्रवक्ताओं के पदों यथा मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश, चिकित्सावकाश आदि के कारण इन पदों पर छात्रहित/जनहित में निम्नलिखित विकास खण्डों में नितान्त अस्थायी व्यवस्था हेतु विजिटिंग शिक्षकों का एक पूल गठित किया जाना है :—

(अ) स0अ0एल0टी० संवर्ग

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम व कार्यालय का पता	शाखा	विषय जिनमें पूल गठित किया जाना है।
1	चक्रराता	महिला	विज्ञान,
2	कालसी	महिला	कला
3	विकासनगर	महिला	—
4	सहसपुर	महिला	हिन्दी
5	रायपुर	महिला	—
6	डोईवाला	महिला	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, व्यायाम
1	चक्रराता	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य, विज्ञान, कला, व्यायाम
2	कालसी	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य, विज्ञान, कला, व्यायाम
3	विकासनगर	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, सामान्य, विज्ञान, कला, व्यायाम
4	सहसपुर	सामान्य	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कला, व्यायाम
5	रायपुर	सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य, विज्ञान
6	डोईवाला	सामान्य	विज्ञान, कला, व्यायाम

(ब) प्रवक्ता संवर्ग

क्र0सं0	विकास खण्ड का नाम व कार्यालय का पता	शाखा	विषय जिनमें पूल गठित किया जाना है।
1	चक्रराता	महिला	—
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र,
2	कालसी	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, रसायन, गणित, जीवविज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, नागशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास

DEO (M)-

3	विकासनगर	महिला	-
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, कृषि
4	सहसपुर	महिला	अर्थ शास्त्र, गृह विज्ञान
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, नागरशास्त्र, वाणिज्य
5	रायपुर	महिला	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, नागरशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, कला
6	डोईवाला	महिला	हिन्दी, नागरशास्त्र, इतिहास
		सामान्य	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरशास्त्र, अर्थ शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, कला, मनोविज्ञान

1. सम्बन्धित विकासखण्ड में निवासरत इच्छुक अभ्यर्थी, जो सहायक अध्यापक एलटी० हेतु उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 यथा प्रथम संशोधित-2014 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम हेतु उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) नियमावली-2008 के प्राविधानानुसार शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हताधारी हों, से स०अ०एलटी० संवर्ग एवं प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पूल हेतु संख्या का निर्धारण शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण के बाद किया जायेगा।
2. आयु सीमा :— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-07-2014 को न्यूनतम 21 एवं अधिकतम् 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी।
3. आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
4. आवेदन पत्र का प्रारूप, संबंधित सेवा नियमावली एवं उक्तांकित शासनसादेश विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड की विभागीय वैबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप विभागीय वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा जनपद के मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय/खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
5. इच्छुक/अर्ह अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पूर्ण कर वांछित समस्त अभिलेख संलग्न कर पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट के माध्यम से निवासरत खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
6. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उक्त शासनादेशों के प्राविधानों के तहत अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की मेरिट/प्रवीणता सूची के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का विषयवार एक पूल गठित किया जायेगा, जो जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति से अनुमोदित होगा। गठित पूल से चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय विशेष में अल्पकालीन अवधि में विजिटिंग शिक्षक के रूप में शिक्षण हेतु निरान्त अस्थाई व्यवस्था के रूप में शासनादेश में विहित प्राविधानों के अनुसार भेजा जायेगा तथा नियमित अध्यापक के विद्यालय में वापस आने/उपस्थित होने पर ऐसे अभ्यर्थी पूल में वापस प्रत्यावर्तित हो जायेंगे पुनः आवश्यकतानुसार शासनादेश में विहित प्राविधानानुसार उन्हें अन्यत्र विद्यालय में भेजा जा सकता है।

DEO (M)





7. महिला शाखा में मात्र महिला अभ्यर्थी एवं सामान्य शाखा में पुरुष/महिला दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
8. अभ्यर्थी द्वारा अपने निवासरत विकास खण्ड हेतु ही आवेदन किया जायेगा।
9. नितान्त कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्धित विद्यालय में कार्य एवं व्यवहार सन्तोषजनक न होने व अन्य कारणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की संस्तुति पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की अनुमति से सम्बन्धित अभ्यर्थी को विद्यालय/विकासखण्ड हेतु गठित पूल से पृथक कर दिया जायेगा।
10. विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में योगदान देने से पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अनुबन्ध पत्र सम्बन्धित संस्था के प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया जायेगा।
11. उक्त व्यवस्था नितान्त कामचलाऊ एवं छात्रहित/जनहित में की जा रही है, फलस्वरूप गठित पूल में चयनित अभ्यर्थी का नियमित नियुक्ति/विनियमितीकरण एवं अन्य किसी प्रकार के अधिमान हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
12. अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट हस्तालिपि में एवं पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र (समस्त संलग्नकों सहित) 9" X12" के लिफाफे में रखकर संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के उक्त पते पर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर "विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन पत्र, विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद/विषय/शाखा अवश्य अंकित की जाय। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि दिनांक 15 जुलाई 2015 के सांय 5.00 तक है, इसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र विभागीय वैबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

आज्ञा से

(एस०पी० खाली)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एल०टी० संवर्ग में अत्यकालीन
शिक्षण के लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र

<p>1. विज्ञापन संख्या—.....</p> <p>2. आवेदित शिक्षक स्वरूप का नाम जनपद</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> पासपोर्ट साइज की नदीनन्तम रखप्रमाणित फोटो दस्ता कर </div>																												
<p>3. आवेदित विषय का नाम शाखा—महिला / सामान्य</p> <p>4. आव्यर्थों का नाम हिंग: महिला / मुरुष</p>																													
<p>5. पिता / पाते का नाम 6. जन्मतिथि : (अंकों में) (शब्दों में).....</p>																													
<p>7. दिनांक 01-जुलाई, 2014 को आयु : वर्ष माह दिन</p>																													
<p>8. उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालय ने पंजीकरण संस्था व दिनांक (प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)</p>																													
<p>9. गृह जनपद</p>																													
<p>10. पत्र व्यवहार का प्रता :</p>																													
<p>11. स्थाई पता :</p>																													
<p>12. सम्बन्धित विकासस्थल में नियासरत रहने का साझा / प्रमाण (सत्यापित छाया प्रति संलग्न करें)</p>																													
<p>13. जाति (अनु०जाति, अनुसंघित जनजाति अन्य पिछड़ावर्ग) (स्कूल प्राचिकारी द्वारा निर्भत जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)</p>																													
<p>14. कोन न० मोबाइल न० :</p>																													
<p>15. शैक्षिक योग्यता :- (सामरत अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करें)</p>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र०</th> <th>परीक्षा का नाम</th> <th>विषय</th> <th>बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम</th> <th>वर्ष</th> <th>प्राप्तांक</th> <th>पूर्णांक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>स०</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>हाईस्कूल</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>इंफर्मीडिएट</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		क्र०	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	स०							1	हाईस्कूल						2	इंफर्मीडिएट					
क्र०	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक																							
स०																													
1	हाईस्कूल																												
2	इंफर्मीडिएट																												

ଘୋଷଣା

में दूत/पुत्री/पत्नी श्री

धोषणा करता है / करती है कि -

- मेरे द्वारा स०३०ए०१० पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हनु विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था दियागल निरस्त समरत शासनादेश ध्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे वह सूझे पूर्णतया मान्य है।
 - मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त निवासरत विकास खण्ड में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है।
 - उपरोक्त आवेदन पत्र मेरे द्वारा सभी प्रविश्टियों सही व सत्य भरी गयी है। यदि भविष्य मेरे उपरोक्त मिहित कोई भी जनकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा कठीं पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने मेरा राक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र मेरे कोई भी त्रुटि हैं तो भरा अम्बायन निरस्त कर दिया जाय तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हनु गठित पूल सूची से पृथक् करते हुए मेरे टिरुद्व नियमनुसार विधिक कायदाही की जा सकती है।
 - विजिटिंग शिक्षकों हनु गठित पूल सूची मेरे चयन होने की दशा मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायेगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायगा।

दिनांक

संलग्नक

三五二四

अभ्यर्थी का प्राप्त नाम—

पता -

**राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग में अल्पकालीन अवधि के शिक्षण के
लिए विजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र**

1. विज्ञापन संख्या—.....
2. आवेदित विद्यालय संख्या का नाम जनजगद्
3. आवेदित विषय का नाम : शाखा—महिला / सामान्य
4. अध्यक्षी का नाम : लिंग: महिला / पुरुष
5. पिता/पति का नाम :
6. जन्मतिथि : (अंकों में)
(शब्दों में).....
7. दिनांक 01—जुलाई, 2014 को आयु : वर्ष नाह दिन
8. उत्तराखण्ड राज्य के संवाधोंजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या व दिनांक
(प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
9. गृह जनजगद् :
10. पत्र विवर का पता

पासफोटो साइज़
दो नवीनतम
स्पष्टमाणित फोटो
चर्चा करें

11. स्थाई पता :
12. सम्बन्धित विकाससंघर्ष में निवासरत उम्मने का साक्ष्य / प्रमाण
(सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)
13. जाति (अनुजाति, अनूसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग).....
14. फोन नं. मोबाईल नं.
15. शैक्षिक योग्यता :—(समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधियों की छायाप्रतियाँ संलग्न करें)

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	दर्वा ग्राहक	पूरीकृ ति
1	हाईस्कूल				
2	इण्टरमीडिएट				
3	मातृक				
4	राजकीय				
5	प्रशिक्षण (दी०ए० / एल०टी०)	लिखित दियात्मक			

घोषणा

मेरे पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. मेरे द्वारा प्रत्यक्ता पद पर अल्पकालीन अवधि में शिक्षण हेतु डिजिटिंग शिक्षकों की व्यवस्था विषयक निर्भत समरत शासनादेश व्यानपूर्वक पढ़ लिये गये हैं तथा इस संदर्भ में जो भी नियम लागू होंगे, वह मुझे पूर्णतया मान्य है।
2. मेरे द्वारा प्रदेश के एक मात्र उक्त नियासरत विकास खण्ड में ही विजिटिंग शिक्षक हेतु आवेदन किया गया है।
3. उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा सभी प्रविष्टियाँ सही व सत्य भरी गयी हैं। यदि भविष्य में उपरोक्त लिखित कोई भी जानकारी या तथ्य मिथ्या या गलत अथवा फर्जी पाए जाते हैं या मैं कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाता/पाती हूँ या प्रमाण पत्र में कोई भी बुत्ति हो, तो मेरा अन्यर्थन निरस्त कर दिया जाये तथा मेरा नाम विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची से पृथक करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. विजिटिंग शिक्षकों हेतु गठित पूल सूची में दबान होने की दशा में मेरे द्वारा निर्धारित अनुबन्ध प्रस्तुत किया जायगा एवं अनुबन्ध की शर्तों का पालन किया जायगा।

दिनांक
संलग्नक--.....

हरताक्षर--

अधिकारी का पूरा नाम--

पता :--